



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Government Of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जयपुर/Project Implementation Unit, Jaipur

डी-148, आर. एस.ई.बी. सब-स्टेशन के पीछे, वैशाली नगर, जयपुर-302021

D-148, Behind RSEB Sub-Satation, Vaishali Nagar, Jaipur-302021

दूरभाष / Phone : 91-141 - 4026465, ई-मेल /E-mail : jai@nhai.org



क्रमांक: 23040/भाराराप्रा/जेपीआर/वन/2022/ 1988

दिनांक: 11.11.2022

श्री मनफूल सिंह (IFS)

मुख्य वन संरक्षक

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक

जयपुर, राजस्थान

विषय: Diversion of 2.852 Ha. of forest land for construction to toll plaza between km. 115.00 to km. 116 at Delhi-Jaipur section of NH-08 District-Alwar, Rajasthan forest diversion proposal under forest conservation Act, 1980-reg.

संदर्भ: 1. आपका पत्रांक एफ 5() एफ.सी.ए/मुवसंज/2022/2171 दिनांक 12.04.2022
2. उप वन संरक्षक, अलवर का अर्द्धशासकीय पत्रांक एफ18(63)एफसीए/उवसं/2022/1915 दिनांक 01.04.2022 एवं ई.डी.एस दिनांक 18.02.2020

महोदय,

कृपया आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 12.04.2022 का संदर्भ ग्रहण करे जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर किमी. 115 से किमी. 116 के बीच टोल प्लाजा निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग के मार्ग अधिकार मे घोषित रक्षित भूमि पर वन मण्डल अलवर अधीन 2.852 हैक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु प्राप्त प्रस्ताव मे कार्यालय अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर से आनलाईन EDS There is violation in the proposal, so what action taken against the concerned Officer जनरेट किया गया था। तथा इस सम्बन्ध मे दोषी अधिकारी का नाम व उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही से अवगत कराने हेतु इस कार्यालय को लिखा गया है।

इस सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी अनुसार उक्त कार्य वर्ष 2009 मे पूर्ण किया गया था। तथा उक्त समयावधि मे पकाई जयपुर परियोजना निदेशक श्री राकेश गुप्ता थे।

भवदीय,

परियोजना निदेशक

भाराराप्रा, पकाई-जयपुर

प्रतिलिपि: 1. मुख्य महाप्रबन्धक (तक.)/क्षेत्रीय अधिकारी, भारारा क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित हैं।
2. उप वन संरक्षक, अलवर को सूचनार्थ प्रेषित हैं।